

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम० के० सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 1221-एक/2015 - विरुद्ध आदेश दिनांक
05-05-2015 पारित द्वारा -आयुक्त,भोपाल संभाग, भोपाल -
प्रकरण क्रमांक 163/2012-13 अपील

श्रीमती मीरावाई पत्नि माखनलाल साहू
निवासी अम्बानगर, तहसील गंजबासोदा
जिला विदिशा मध्यप्रदेश

---आवेदिका

विरुद्ध

श्रीमती कोसावाई पुत्री कलुआ
पत्नि अखेसिंह रावत निवासी ग्राम
करैया तहसील सिरोंज जिला विदिशा

---अनावेदिका


(आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री डी.एस.चौहान)
(अनावेदिका की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 6-10-2015 को पारित)

आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक
163/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2015 के
विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के
अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदिका ने अपर तहसीलदार
बासोदा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा
110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके द्वारा
ग्राम अम्बानगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 196 के रकबा 1.568
हैक्टर में से 0.627 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया
गया है) पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है, विक्रय पत्र के आधार
पर नामान्तरण किया जावे। अपर तहसीलदार बासोदा ने प्रकरण
क्रमांक 188 अ-6/2009-10 पंजीबद्ध किया तथा विक्रय पत्र के
आधार पर विक्रेतागण के स्थान पर आवेदिका केता का आदेश दिनांक



14-10-2010 से नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा ने प्रकरण क्रमांक 75/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-09-14 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये विक्रेतागण को अनुसूचित जनजाति का मानकर विक्रय पत्र शून्य मानते हुये अपर तहसीलदार बासोदा का आदेश दिनांक 14-10-2010 निरस्त किया तथा पूर्व-भूमिस्वामियों के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदिका ने आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 163/2012-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-15 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण करना चाहे, किन्तु उन्होंने लेखी बहस प्रस्तुत कर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों एवं उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपर तहसीलदार बासोदा के आदेश दिनांक 14-10-2010 के विरुद्ध अनावेदिका ने प्रथम अपील 29-5-14 को अर्थात् लगभग 03 वर्ष 07 माह वाद प्रस्तुत की गई है, जबकि तहसीलदार द्वारा इस्तहार का प्रकाशन कराया गया है एवं विक्रेता भूमिस्वामी अनावेदिका एवं महिला कलावाई (अब मृतक) को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी किये हैं। अनावेदिका महिला कौसिया उर्फ कौसावाई तहसील न्यायालय में उपस्थित हुई है एवं उसने कथन

दिया है कि पिता के मरने के बाद भूमि उसके नाम आई है तथा हमारी जाति रावत है मैंने तथा मेरी माँ ने अपनी भूमि में से 0.627 है. भूमि का विक्रय श्रीमती मीरावाई को किया है। विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र पर महिला कोसियावाई एवं कलावाई के फोटो लगे हैं एवं हस्ताक्षर हैं उपस्थित महिलाओं का फोटो से पहचानकर उप पंजीयक ने पंजीयत विक्रय पत्र संपादित किया है। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में महिला कोसियावाई का यह अंकित किया है कि उसकी मां एवं उसने कभी भी विक्रय पत्र संपादित नहीं कराया है एवं उन्हें नामान्तरण की भी जानकारी नहीं है - तथ्य वास्तविकता के विपरीत हैं एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा-5 के इन तथ्यों को स्वीकार कर लगभग 03 वर्ष 07 माह के विलम्ब को क्षमा करना न्याय की परिधि में नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 29-5-14 को प्रस्तुत अपील समयावधि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निरन्तर पेशी 29.5.14, 5.6.14, 18.6.14, 23.6.14, 10.7.14, 23.7.14, 7.8.14, 25.8.14, 3.9.14, 10.9.14, 16.9.14, 17.9.14, को सुनी गई, किन्तु उन्होंने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर न तो सुनवाई की और न ही इस आवेदन पर आदेश पारित किया, वरन् उन्होंने अंतिम आदेश में उक्त तथ्यों के विपरीत निर्णय लेकर अनावेदिका के अवधि विधान के आवेदन में दिये गये असत्य विवरण को स्वीकारते हुये विलम्ब क्षमा करने में भूल की है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 47 तथा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - समयवर्जित अपील सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है - अपीलीय न्यायालय ऐसी अपील में केवल उसे समय-वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश दे सकता है अथवा विलम्ब क्षमा कर सकता है किन्तु उसके गुणगुण पर निर्णय करने की अधिकारिता उसे प्राप्त नहीं है।

रामलाल वि.रामचंद स्वामी 1967 J.L.J.S.N. 43 से अनुसरित

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 - अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

किन्तु आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 5-5-15 पारित करते समय तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 25-9-14 पारित करते समय इन तथ्यों की अनेदखी की है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।


5/ अपर तहसीलदार बासोदा के आदेश दिनांक 14-10-2010 एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25-9-14 के अवलोकन से यह भी परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र इस आधार पर संपादित हुआ है कि विक्रेता महिला श्रीमती कोसिया वाई एवं श्रीमती कलावाई ने विक्रय पत्र में स्वयं को जाति रावत अंकित कराया है एवं पुष्टिकरण में परिचय पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत किये हैं एवं विक्रय पत्र में अंकित कराया है कि भूमि का विक्रय होने में धारा 165 अथवा सीलिंग एक्ट की बाधा नहीं है तभी उप पंजीयक ने विक्रय पत्र संपादित किया है। अनुविभागीय अधिकारी बासोदा के आदेश दिनांक 29.5.14 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है -


- अपीलांट सहरिया जाति का होकर अनुसूचित जनजाति में आता है रिस्पॉडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय से सॉठ-गॉठ कर कूटरचित आधारों पर अपीलांट अनुसूचित जनजाति का होते हुये उसे रावत जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा जिसके आधार पर विक्रय पत्र संपादित कराया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शून्य विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया है।*

विचार योग्य है कि क्या उपरोक्त वर्णित अनुसार परिचय पत्र, राशन कार्ड के आधार पर रावत जाति प्रमाणित होने पर संपादित विक्रयपत्र को संहिता की धारा 165 के अंतर्गत शून्य मानने की शक्तियाँ अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त हैं ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा-165 के अधीन कार्यवाही करने की शक्तियाँ कलेक्टर अथवा कलेक्टर से अनिम्न पदश्रेणी के पदाधिकारी को हैं

जिसके कारण अनविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 29-5-14 में उक्ताशय का दिया गया निष्कर्ष अधिकारिता रहित एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है, इस पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 5-5-15 पारित करते समय गौर न करने की त्रुटि की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 163/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2015 तथा अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-9-14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। फलतः अपर तहसीलदार बासोदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 188 अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 14-10-2010 स्थिर रहने से ग्राम अम्बानगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 196 के रकबा 1.568 हैक्टर में से विकीत रकबा 0.627 है. पर केता आवेदिका का किया गया नामान्तरण शासकीय अभिलेख में यथावत् रखा जाता है।




(एम० के० सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर